न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 44 / 2025	2025 / 135	03.03.2025	15.10.2025

1– सरकार जर्ये तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

बनाम

1– अनिता पुत्री धर्मचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी धीकाका तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा।
2– गीता पत्नि उमेश उर्फ उमराव,
3– पुनित शर्मा पुत्र उमेश उर्फ उमराव,
4– मनोज शर्मा पुत्र उमेश उर्फ उमराव,
5– माया पुत्री बदलू,
6– रूकमणी पत्नि धर्मचन्द,
7– बिमला देवी पत्नि देवेन्द्र,
8– संजना पुत्री देवेन्द्र,
9– सुनिता पुत्री देवेन्द्र,
10– सरवर पुत्र धर्मचन्द,
11– सुषमा पुत्री उमेश उर्फ उमराव,
12– सानू पुत्री धर्मचन्द,
13–मनीष शर्मा पुत्र देवेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम धीकाका तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
14–चरणसिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति जाट निवासी जाटका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
15–प्रवीण यादव पुत्र नाथूराम जाति अहीर निवासी बस डीपो के पास तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
16– सरजीत सिंह जाखड पुत्र गणपतराम जाखड जाति जाट निवासी हरसौली तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
17– यशवीर पुत्र बहादुर सिंह जाति अहीर निवासी राताखुर्द तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
18– राजू कुमार पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी रायपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
19–यशपाल सिंह चौहान पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी पुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
20–योगेश गुप्ता पुत्र नन्दकिशोर गुप्ता जाति महाजन निवासी पुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 नामान्तरण संख्या 5019 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा, को निरस्त किये जाने बाबात।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

उपस्थित–

01. विभागीय प्रतिनिधि – अपीलान्ट
02. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा –वकील रेस्पो0 संख्या 1–13
03. श्री सुधीर गुप्ता – वकील रेस्पो0 संख्या 14–20

–:निर्णय:–

विभागीय प्रतिनिधि के द्वारा यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 नामान्तरण संख्या 5019 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 565, 566, 567 अनिता पुत्री धर्मचन्द, गीता पत्नि उमेश उर्फ उमराव, पुनित शर्मा पुत्र उमेश उर्फ उमराव, मनोज शर्मा पुत्र उमेश उर्फ उमराव, माया पुत्री बदलू, रूकमणी पत्नि धर्मचन्द, बिमला देवी पत्नि देवेन्द्र, संजना पुत्री देवेन्द्र, सुनिता पुत्री देवेन्द्र, सरवर पुत्र धर्मचन्द, सुषमा पुत्री उमेश उर्फ उमराव, सानू पुत्री धर्मचन्द, मनीष शर्मा पुत्र देवेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम घीकाका तहसील कोटकासिम के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के नाम का अंकन हो रहा है, तथा विवादित आराजी गैर खातेदारी की आराजी है। पटवारी हल्का द्वारा सहवन से भूलवश राजस्व रिकार्ड में ऑनलाईन दर्ज करते समय खातेदारी का नामान्तकरण का इन्द्राज हो गया तथा सहवन से भूलवश अपीलार्थी के पास पहुच गया तथा सहवन से भूलवश अपीलार्थी द्वारा भी उक्त नामान्तकरण को स्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी को दिनाक 19.11.2024 को गलत इन्दाज की जानकारी हुई है, जानकारी होने पर तुरन्त बाद ही अपीलार्थी द्वारा बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। जानकारी होने की दिनाक 26.11.2024 से अपील अन्दर मियाद में पेश की गयी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पारित निर्णय दिनाक 29.01.2024 नामान्तरण संख्या 5019 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा को निरस्त किया जाकर खातेदारी के अंकन की जगह गैर खातेदारी के अंकन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 1–13 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (प्रशासन गावो के संग 2001) के जारी पत्र (आदेश क्रमाक/दिनाक अंकित नही है, की नकल तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनाक 09.12.2024 को जारी की गयी है) में उल्लेखित है, कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमाक प.6 (35) राज. 6/2001/103 दिनाक 23.10.2001 के अनुसार काश्तकार कमशः मु0 सन्तो स्त्री बदलू, धर्म, उमराव, देवेन्द्र पि0 बदलू माया पुत्री बदलू जाति ब्राहम्ण निवासी कोटकासिम गैरखातेदार जो कि आंवटी नही है, तथा बन्दोबस्त पूर्व से गैर खातेदार है, को नामान्तकरण में वर्णित भूमि को सिवायचक मानते हुऐ आंवटन कमेटी की शिफारिश के आधार पर राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आंवटन नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार नियमन किये जाने व नियमानुसार आंवटन की शर्तो की पालना करने पर नियम 18 के अन्तर्गत खातेदारी प्राप्त करने के लिए सक्षम होगे आदेश प्रदान किये गये है। आदेश की पालना में काश्तकार अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा प्रदत आदेश की पालना में कार्यवाही की जाकर आराजी का राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज हुई है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी अवगत नही कराया गया है, विलम्ब के

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

सुनिता पुत्री देवेन्द्र, सरवर पुत्र धर्मचन्द, सुषमा पुत्री उमेश उर्फ उमराव, सानू पुत्री धर्मचन्द, मनीष शर्मा पुत्र देवेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम धीकाका तहसील कोटकासिम के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के नाम का अंकन हो रहा है, तथा विवादित आराजी गैर खातेदारी की आराजी है। पटवारी हल्का द्वारा सहवन से भूलवश राजस्व रिकार्ड में ऑनलाईन दर्ज करते समय खातेदारी का नामान्तकरण का इन्द्राज हो गया तथा सहवन से भूलवश अपीलार्थी के पास पहुच गया तथा सहवन से भूलवश अपीलार्थी द्वारा भी उक्त नामान्तकरण को स्वीकार कर दिया गया। प्रकरण में तहसीलदार कोटकासिम से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की गयी रिपोर्ट जर्ये पत्राक 3027 दिनाक 18.08.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 3 में अंकित है, कि गैरखातेदार द्वारा खातेदारी प्राप्त किये जाने हेतु पूर्व में दिनाक 07.01.2021 व जिला कलक्टर अलवर के यहा दिनाक 18.06.2021 को आवेदन किये जाने का उल्लेख अंकित किया गया है, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जये पत्राक 4267 दिनाक 24.06.2021 से जिला कलक्टर कार्यालय अलवर को भिजवायी गयी है, प्रेषित रिपोर्ट में अंकित है, कि जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम कोटकासिम खाता संख्या 1161 के अनुसार खसरा न0 665/0.0126, 566/0.8093, 567/0.4932 है0 वाके ग्राम कोटकासिम उमराव पुत्र बदलू हिस्सा 1/5 कोम ब्राहमण वगै0 साकिन धीकाका गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिसल बंदोबस्त संवत 2029 के खाता संख्या 478 में खसरा न0 565, 566, 567, 883, 885 बदलू पुत्र नंदलाल कौम ब्राहम्ण साकिन धीकाका हाल आबाद कोटकासिम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो नामान्तकरण संख्या 34 विरासत से बदलू के वारिसान सन्तो पत्नी बदलू वगै0 के नाम दर्ज हुई है। मिलान खसरा अनुसार हाल आराजी खसरा न0 565 गत खसरा न0 599 मिन, हाल खसरा न0 566 गत खसरा न0 599 मिन, 597 मिन, 598 मिन व हाल खसरा न0 567 गत खसरा न0 117 मिन, 599 मिन से बने है। जमाबन्दी संवत 2016 के अनुसार खसरा न0 599/1 मिन रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड है, व गत खसरा न0 598 मिन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पडत कदीम दोयम जमाबन्दी संवत 2016 के खाता संख्या 478 में खसरा न0 117 मिन रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा बारानी अव्वल अज गैर मुमकिन नदी व खाता नम्बर 417/2 रकबा 18 बिस्वा बारानी अव्वल अज गैर मुमकिन नदी दर्ज है। इससे स्पष्ट है, कि विवादित नामान्तकण में वर्णित आराजीयात विगत राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड थी, जो अब्दूल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित भूमि है, ऐसी भूमियो का किसी भी व्यक्ति/संस्था को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है, प्रस्तुत अपील में तहसीलदार कोटकासिम द्वारा उक्त अपील पेश कर पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 नामान्तरण संख्या 5019 वाके ग्राम कोटकासिम को निरस्त किये जाने हतु निवेदन किया गया है। किन्तु वर्णित हाल राजस्व रिकार्ड के गत खसरा नम्बरान/रकबा/किस्म के बाबत कोई टिप्पणी अंकित नही की गयी है, जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित था। लेण्ड होल्डर की हैसियत से इस बाबत स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की जानी चाहिऐ थी, जो नही की गयी है। ऐसे प्रकरणो में तुरन्त प्रभाव से रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर विधिक प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, विधिक प्रावधानुसार ऐसी कोई कार्यवाही की गयी है, पत्रावली पर उपलब्ध नही है। उक्त क्रंम में राजस्व अधिकारीयो/कर्मचारीयो द्वारा अपने कतव्यो के प्रति लापरवाही बरती गयी है, उक्त क्रंम में उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को आदेर्शित किया जाता है, उक्त प्रकरण में वर्णित राजस्व रिकार्ड के बाबत विस्तृत जॉच कर राजस्व अधिकारीयो/कर्मचारीयो का उत्तरदायित्व निर्धारित कर विधिवत प्रावधानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे, एंव पालना में की गयी कार्यवाही से एक माह मे पृथक से न्यायालय को अवगत करावे। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 नामान्तरण संख्या 5019 वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा न्यायोचित प्रतित नही होता है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 नामान्तरण संख्या 5019 वाके ग्राम

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कोटकासिम खारिज किया जाता है. पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण एवं जिला
मजिस्ट्रेट, खैरथल- तिजारा